राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1409/2012/सिरोही.

मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/07/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 193/आरवेट/सिरोही में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 17.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 व 65 के तहत दिनांक 17.01.2011 को पारित करते हुए कुल रूपये 2,69,886/– की मांग कायम की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2012 से अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक 27.12.2011 के लिये जारी नोटिस उन्हें दिनांक 28.12.2011 को प्राप्त हुआ। जिस पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष निवेदन किये जाने पर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी क्रमशः दिनांक 17.01.2012 व 24.01.2012 नियत की गई। दिनांक 28.01.2012 को अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिंघल की पुत्री का विवाह होने के कारण वे तारीख पेशी दिनांक 24.01.2012 को उपस्थित नहीं हो सके। इस

लगातार.....2

बाबत श्री अजय कुमार सिंघल का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में उनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक की सूचना होते हुए भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.01.2012 नियत की गयी थी, जिसकी सूचना अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को भी थी, किन्तु दिनांक 28.01.2012 को अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय कुमार सिंघल की पुत्री का विवाह होने के कारण वे अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इस बाबत श्री सिंघल ने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यही माना जा सकता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि का अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने बाबत पत्रावली पर पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि प्रकरण अपीलीय अधिकारी को गुणावगुण पर निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया जावे।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुणावगुण पर प्रकरण का तीन माह की अवधि में निस्तारण करें। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 10.08.2015 को वांछित रेकॉर्ड के साथ असालतन अथवा वकालतन अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

8. निर्णय सुनाया गया।

07/07/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य

-367

(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष